सूचना

कलाम ट्रांसमिशन लिमिटेड

(यूनिट नं. 101, पहली मंज़िल, विंडसर, गांव कोले कल्याण, ऑफ सीएसटी रोड, विद्यानगरी मार्ग, सांताक्रूज़ (पू.), मुंबई – 400098)

1. उपरोक्त याचिकाकर्ता ने केंद्रीय विद्युत् विनियामक आयोग, नई दिल्ली के समक्ष *कलाम पीएस में आरई इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी बेज् के साथ, 2X500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरे और चौथे) के द्वारा ''परिवर्तन क्षमता संवर्धन / ट्रांसफर्मेशन कपैसिटी में वृद्धि'' के लिए टैरिफ निश्चिती के लिए याचिका दायर की है.*

2. जनरेटिंग स्टेशन/ट्रांसमिशन सिस्टम के लाभार्थी निम्नानुसार:
   (a) सेंट्रल ट्रान्समिशन यूटिलिटी (सीटीयू)
   (b) रीन्यू सोलर सर्विसेस प्राइवेट लिमिटेड
   (c) आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कन्सलटंसी लिमिटेड
   (d) वेस्टर्न ट्रान्सको पावर लिमिटेड
   (e) आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कन्सलटंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल)
   (f) वेस्टर्न ट्रान्सको पावर लिमिटेड
   (g) जेएसडब्लू रीन्यू एनर्जी लिमिटेड
   (h) सेरेंटिका रीन्यूएबल्स इंडिया 4 प्राइवेट लिमिटेड
   (i) वेह ग्लोबल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
   (j) टोरेंट सोलरजेन लिमिटेड
   (k) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
   (l) गोवा बिजली विभाग
   (m) पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
   (n) मध्य प्रदेश पावर मैनेजमेंट कं.लि.
   (o) महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
   (p) एसीबी (इंडिया) लिमिटेड
   (q) टोरेंट पावर लिमिटेड
   (r) वेस्ट बंगाल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रिब्यूशन कंपनी लिमिटेड
   (s) जीएम्आर वरोरा एनर्जी लिमिटेड
   (t) थर्मल पावरटेक कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड
   (u) छत्तीसगढ़ स्टेट पावर ट्रेडिंग कंपनी लिमिटेड
   (v) डीबी पावर लिमिटेड
   (w) इंडियन रेलवे
   (x) ईस्ट सेंट्रल रेलवे
   (y) वेस्ट सेंट्रल रेल्वे
   (z) वेस्टर्न रेलवे
   (aa) अदानी पावर (मुंद्रा) लिमिटेड
   (bb) टीआरएन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड
   (cc) आर्सेलोरमित्तल निप्पॉन स्टील इंडिया लिमिटेड
   (dd) सेंट्रल रेलवे
   (ee) दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पावर डिस्ट्रिब्यूशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड
   (ff) एमपीएसईज़ेड़ यूटिलिटीज् लिमिटेड
   (gg) वीईएच आरूष रीन्यूएबल्स प्राइवेट लिमिटेड

3. उत्पादन स्टेशन की क्षमता / लाइन की लंबाई, वितरण व्यवस्था के लिए बे (कक्ष) की संख्या:

वितरण योजना का दायरा	क्षमता/किमी
कलाम पीएस में आरई इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी बेज् के साथ, 2X500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी (तीसरे और चौथे) के द्वारा परिवर्तन क्षमता संवर्धन/ ट्रांसफर्मेशन कपैसिटी में वृद्धि	• *कलाम पूलिंग स्टेशन की 2X500 एमवीए से वृद्धि: 2* o *500 एमवीए, 400/220 केवी आईसीटी: 2* o *400 केवी आईसीटी बे: 2* o *400/220 केवी आईसीटी 220 केवी आईसीटी बे: 2* • *आरई इंटरकनेक्शन के लिए 220 केवी लाइन बे: 2* o *220 केवी लाइन बे: 2* • *कलाम पीएस में 1X125 एमवीएआर बस रिएक्टर (दूसरा)* o *125 एमवीएआर, 420 केवी बस रिएक्टर–बे:1* o *बस रिएक्टर बे: 1*

4. परियोजना की स्वीकृत लागत (लाख रू.):

मूल	संशोधित अंतिम
रू. 15,689.00 लाख (सीटीयूआईएल द्वारा उनके ऑफिस मेमोरैंडम (कार्यालय ज्ञापन), दिनांक 15.11.2022 के तहत अनुमोदित)	रू. 19,825.42 लाख (ईपीसी ठेकेदारों द्वारा प्राप्त बोलियों के आधार पर याचिकाकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित)

5. व्यावसायिक संचालन की निर्धारित तिथि: **31.12.2024**
6. व्यावसायिक संचालन की प्रत्यक्ष तिथि: **04.01.2025**
7. व्यावसायिक संचालन की तिथि पर पूर्ण पूंजीगत लाग (रू. लाख): **रू.19,296.14 लाख**
8. टैरिफ का विवरण:

	पिछले साल का टैरिफ	वर्ष–वार टैरिफ तय करने के मांग				
		पहला वर्ष	दूसरा वर्ष	तीसरा वर्ष	चौथा वर्ष	पांचवा वर्ष
ट्रान्समिशन सिस्टम द्वारा ट्रान्समिशन शुल्क	लागू नहीं	रू. 862.31 लाख	रू. 4,014.89 लाख	रू. 4,211.87 लाख	रू. 4,138.03 लाख	रू. 4,067.57 लाख

9. टैरिफ तय करने के लिए दायर की गई याचिका की कॉपी / प्रतिलिपी वेबसाइट वर पोस्ट की गई है और इस लिंक पर देखी जा सकती है: https://www.indigrid.co.in/documents-manager/.
10. याचिका में निहित टैरिफ निर्धारण के प्रस्तावों पर सुझाव और आपत्तियां, यदि कोई हो तो, लाभार्थियों सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा, याचिका कर्ता को एक प्रति भेजकर, आयोग के ई–फाइलिंग पोर्टल के माध्यम से दायर की जा सकती है.

स्थान: मुंबई
तिथि: 16 जुलाई, 2025

हस्ताक्षर/–
(कंपनी सेक्रेटरी)